संप्रकाशनीय

उच्चतम न्यायालय, भारत

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता

क्रिमिनल अपील सं. 687/2019

(SLP (Crl.) No. 297/2015 से उद्भूत)

बिकाश रंजन राउत ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य, सचिव (गृह), दिल्ली सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से .....प्रत्यर्थी

निर्णय

एम.आर.शाह, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गयी |

2. क्रिमिनल एम. सी. सं. 3386/2013 में दिनांक 20.08.2014 को पारित किये गए आक्षेपित निर्णय एवं आदेश जिसके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित याचिका ख़ारिज की और विद्वान अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी (पश्चिम) दिल्ली द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश की पुष्टि की, जिससे दंडाधिकारी ने अतिरिक्त जाँच करने का आदेश दिया, से खिन्न एवं असंतुष्ट होकर मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर की है |

3. यह कि, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त, के खिलाफ़ दिनांक 28.09.2007 को FIR सं. 426/2007 थाना जनकपुरी, दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468 एवं 471 के तहत FIR दर्ज की गई थी | यह कि, जाँच पूरी होने पर, जाँच अधिकारी ने

अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468 एवं 471 के तहत आरोप पत्र दायर किया | यह कि, आरोप की विरचना के समय एवं आरोप-पत्र के दस्तावेज़ात का संज्ञान लेते हुए, विद्वान दंडाधिकारी ने दिनांक 05.02.2013 के आदेश द्वारा अपीलार्थी अर्थात् मूल अभियुक्त को उम्मोचित कर दिया था | हालाँकि, अभियुक्त को उम्मोचित करते हुए और/अथवा अभियुक्त के उम्मोचन के पश्चात्, उसी आदेश में, विद्वान दंडाधिकारी ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) दिल्ली को मामले में की गई जाँच की गुणवत्ता के मूल्यांकन और किसी भी आरोप पत्र को छंटनी के प्रयोजन हेतु अभियोजन शाखा के समक्ष भेजने की प्रभावकारिता की प्रक्रिया का विश्लेषण करने हेतु निर्देश दिया था| विद्वान दंडाधिकारी ने यह भी अवलोकन किया और निर्देश दिया कि मामले को तर्कसंगत परिणाम पर पहुँचने हेतु अतिरिक्त जाँच की आवश्यकता है और इसे पूरी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए और इस रिपोर्ट को 11.04.2012 (.sic.) तक दायर किया जाए |

3.1 विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश के उस भाग, जिसमें विद्वान दंडाधिकारी ने अतिरिक्त जाँच करने और रिपोर्ट दायर करने हेतु निर्देश दिया था, से खिन्न एवं असंतोष होकर अपीलार्थी अर्थात् मूल अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में Cr. M.C. No. 3386/2013 में अपील दायर की थी | इसी दौरान, दिनांक 05.02.2013 को विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश में जारी निर्देशों का अनुसरण करते हुए, ज़िला जाँच यूनिट पश्चिम ज़िला, पुलिस चौकी एम.आई.जी. फ्लैट, जे. ब्लाक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली ने CrPC की धारा 160 के तहत दिनांक 22.04.2013 को समन जारी कर दिए | अपीलार्थी ने CrPC की धारा 160 के तहत जारी कथित

नोटिस/समन को भी चुनौती दी थी | मूलतः अपीलार्थी ने विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश के उस भाग को चुनौती दी है, जिस के द्वारा दंडाधिकारी ने अवलोकन और अतिरिक्त जाँच के निर्देश दिए थे और जाँच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया था | यह कि, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा, हाई कोर्ट ने कथित याचिका ख़ारिज कर दी और विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें दंडाधिकारी ने पाया कि जाँच दोषपूर्ण थी और/अथवा कुछ आयामों पर कोई उचित जाँच नहीं की गई, अतिरिक्त जाँच के निर्देश दिए थे और इसलिए विद्वान दंडाधिकारी तर्कपूर्ण परिणाम पर पहुँचने हेतु अतिरिक्त जाँच के निर्देश देने में न्यायोचित थे | परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने कथित याचिका ख़ारिज कर दी | इसलिए, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष आये हैं |

4. श्री मृणाल कांति मंडल, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने पुरज़ोर रूप से यह कहा कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 05.02.2013 के अग्रिम जाँच के आदेश की पुष्टि करते हुए गंभीर गलती की है |

4.1 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने पुरज़ोर रूप से कहा कि, उच्च न्यायालय ने तथ्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया, अभियुक्त जब विद्वान अधिवक्ता द्वारा उम्मोचित हो गया था तो इसके बाद CrPC की धारा 173(8) के तहत उनकी अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश पारित करने की उनकी कोई अधिकारिता नहीं है|

4.2 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि जब अभियुक्त को विद्वान दंडाधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर आये आरोप पत्र और तथ्यों को विचार करने के बाद उम्मोचित कर दिया जाता है तो इसके बाद विद्वान दंडाधिकारी अधिकारहीन हो जाते है और यहाँ तक कि CrPC की धारा 173(8) की तहत भी अतिरिक्त जाँच के आदेश देने हेतु उनकी कोई अधिकारिता नहीं रहती |

4.3 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि, अभियुक्त के उम्मोचन के बाद विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश पारित करना CrPC की धारा 167(2) से द्वारा भी रोका गया है |

4.4 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि, उच्च न्यायालय ने विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अभियुक्त के उम्मोचन के बाद अतिरिक्त जाँच के पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने, विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व-संज्ञान स्तर और उत्तर-संज्ञान स्तर पर शक्तियों के प्रयोग के बीच में अंतर को उचित रूप से न ही मूल्यांकन अथवा विचार किया गया है | यह भी कहा गया कि, वह शक्तियाँ जो दंडाधिकारी को पूर्व-संज्ञान स्तर पर उपलब्ध है, उन्हें उत्तर-संज्ञान स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है |

4.5 अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **Bhagwat Singh v/s Commissioner of Police (1985) 2 SCC 537** के साथ-साथ **Reeta Nag v/s State of West Bengal (2009) 9 SCC 129** के मामले में दिये गए निर्णयों पर भी अत्यधिक भरोसा किया |

अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **Vinay Tyagi v/s Irshad Ali @ Deepak (2013) 5 SCC 762; Vasanti Dubey v/s State of Madhya Pradesh (2012) 2 SCC 731; Amit Kapoor v/s Ramesh Chander (2012) 9 SCC 460 और Randhir Singh Rana v/s State (Delhi Administration) (1997) 1 SCC 361,** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा जताया |

4.6 इस न्यायालय के उपरोक्त कथित निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने पुरज़ोर रूप से कहा कि, विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया यह आदेश, जिसमें अभियुक्त के उम्मोचन के बाद अतिरिक्त जाँच का आदेश दिया गया है, पूर्णत: अनुचित है | इसलिए, यह प्रार्थना है कि वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान की जाये और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अतिरिक्त जाँच हेतु पारित आदेश को भी अमान्य एवं रद्द किया जाये |

5. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता ने वर्तमान अपील का पुरज़ोर रूप से विरोध किया | प्रत्यर्थी-राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान दंडाधिकारी द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सही अवलोकन किया है कि, कुछ आयामों पर कोई जाँच की ही नहीं गई और न ही कोई साक्ष्य एकत्रित किये गए, जो मामले की तह तक जायेंगे और इसलिए जाँच की प्रक्रिया जिस तरह की गई है एवं जिस प्रकार से आरोप पत्र दाखिल किया गया था उस से असंतुष्ट हो कर ही जब विद्वान

दंडाधिकारी द्वारा अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश किया गया, इसी कारण उसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, जोकि उचित है|

5.1 प्रत्यर्थी-राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि, इसी तरह, यदि विद्वान दंडाधिकारी इस निष्कर्ष में पहुँचते है कि जाँच उचित नहीं थी और/अथवा जाँच लापरवाही से की गई है और इसका लाभ अभियुक्त को जा सकता है, तो वह अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश की शक्ति रखते है | यह भी कहा गया कि दंडाधिकारी को अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश देने की शक्ति CrPC की धारा 173(8) के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला, जिसमें इस न्यायालय द्वारा **Bhagwat Singh** (उपर्युक्त) और **Reeta Nag** (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय भी सम्मिलित है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है | यह भी बताया गया कि इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान दंडाधिकारी अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश देने में न्यायोचित थे |

5.2 **Kishan Lal v/s Dharmendra Bafna (2009) 7 SCC 685** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रत्यर्थी-राज्य के अधिवक्ता ने बताया कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकित और निर्णित है, दंडाधिकारी जाँच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड में लाये गए सामग्री के आधार पर संज्ञान ले सकते है| यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि दंडाधिकारी को अतिरिक्त जाँच हेतु निर्देश देना अनुज्ञेय है | यह भी कहा गया कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा भी निष्कर्ष निकाला गया है, यह दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि वह देखे कि जाँच को उचित तरीके से किया जाये| यह भी कहा गया कि, यह अवलोकन

किया गया है कि, अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश, दंड के संज्ञान लेने के बाद भी, मामले के विभिन्न स्तरों के साथ-साथ विचारण के स्तर पर भी दिया जा सकता है |

5.3 **Hemant Dhasmana v/s Central Bureau of Investigation (2001) 7 SCC 536** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होते हुए यह भी कहा गया कि, जब न्याय हेतु विद्वान दंडाधिकारी अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश पारित करते है तो, उसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है |

5.4 प्रत्यर्थी-राज्य के अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **Sajjan Kumar v/s Central Bureau of Investigation (2010) 9 SCC 368** में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया | यह भी कहा गया कि, आरोप पत्र दायर करने के बाद भी दंडाधिकारी अभियुक्त को उपस्थित होने एवं दंड हेतु विचारण करने के लिए CrPC की धारा 227 एवं 228 के स्तर पर भी निर्देश देने में सक्षम है |

5.5 उपरोक्त निवेदन करते हुए एवं इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों पर निर्भर जताते हुए, वर्तमान अपील को ख़ारिज करने हेतु प्रार्थना की गई |

6. सम्बंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को लम्बे समय तक सुना गया | प्रारंभ में, यह ध्यान देने आवश्यक है कि, वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अभियुक्त के उम्मोचन के समय/बाद दिए गए अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश की पुष्टि की गई है | यह ध्यान देना आवश्यक है कि, वर्तमान मामले में, जाँच अधिकारी ने दंडाधिकारी के समक्ष जाँच पूर्ण करने के बाद

रिपोर्ट/आरोप-पत्र दायर कर दी थी | इसके बाद, मामला जैसा की CrPC की धारा 227 और 228 के प्रावधानों के तहत है विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष आरोप के तय करने के स्तर पर था | आरोप-पत्र के साथ दायर रिकॉर्ड तथ्यों पर विचार के बाद, विद्वान दंडाधिकारी ने अभियुक्त को प्रथमतः उम्मोचित कर दिया था | हाँलाकि, इसके साथ-साथ, अभियुक्त को उम्मोचित करते समय, विद्वान दंडाधिकारी ने अतिरिक्त जाँच हेतु एवं जाँच अधिकारी को मामले में अतिरिक्त जाँच करने और रिपोर्ट दायर करने हेतु आदेश भी पारित कर दिया था | मामले के विवाद का विषय आदेश का वह भाग है जिसके द्वारा विद्वान दंडाधिकारी ने अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश किया था | इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार करने हेतु संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि, अभियुक्त के उम्मोचन हेतु जब विद्वान दंडाधिकारी आदेश पारित कर देते है, तो उसके बाद क्या दंडाधिकारी अतिरिक्त जाँच और जाँच अधिकारी को रिपोर्ट दायर करने हेतु आदेश देने के लिए अनुज्ञेय है या नहीं?

6.1 उपरोक्त विवाद/मुद्दे पर विचारण के समय, इस न्यायालय के कुछ निर्णय, दंडाधिकारी द्वारा प्रक्रिया पर अनुसरण करने हेतु लागू होंगे जब जाँच अधिकारी CrPC की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट दायर करते है और दंडाधिकारी की शक्तियां क्या हैं और/अथवा दंडाधिकारी को उस समय क्या विकल्प उपलब्ध है जब जाँच अधिकारी जाँच पूरी करने के बाद दंडाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट/चालान/आरोप-पत्र दायर करते है, को संदर्भित और विचार करने की आवश्यकता हैं|

6.2 **Bhagwant Singh** (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के चर्चित निर्णय में जिसका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अनुसरण किये जाने और/अथवा विकल्प जो दंडाधिकारी को उस वक्त उपलब्ध है जब जाँच अधिकारी द्वारा उनके समक्ष रिपोर्ट/चालान/आरोप-पत्र दायर किये गये थे, को विचारण हेतु इस न्यायालय के पास अवसर था| उस निर्णय में, इस न्यायालय ने Para 4 में निम्नलिखित टिपण्णी और निर्णय दिया:-

"**4.** अब, जब धारा 173(2)(i) के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दंडाधिकारी को विचारण हेतु रिपोर्ट अग्रेषित की जाती है, तो दो विभिन्न स्थिति में से एक उत्पन्न हो सकती है | रिपोर्ट यह निष्कर्ष दे सकती है कि, एक अपराध जो घटित प्रतीत हुआ है उसे विशेषत: एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है और ऐसे मामले में, दंडाधिकारी तीन कार्यों में से एक कार्य कर सकते है: (1) वह रिपोर्ट स्वीकार कर सकते है और अपराध का संज्ञान ले सकते है और समन (Process) जारी कर सकते है अथवा (2) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकते है और कार्यवाही को रोक सकते है अथवा (3) वह धारा 156(3) के तहत अतिरिक्त जाँच हेतु और पुलिस को अतिरिक्त रिपोर्ट बनाने हेतु निर्देश दे सकते है | दूसरी ओर रिपोर्ट यह भी हो सकती है कि, पुलिस के मत में, कोई अपराध घटित नहीं हुआ है और जहाँ ऐसे रिपोर्ट बनी है, दंडाधिकारी पुनः तीन विकल्पों में से एक विकल्प को अपना सकते है: (1) वह रिपोर्ट को स्वीकार कर सकते है और कार्यवाही को रोक सकते है या (2) वह रिपोर्ट से असहमत हो सकते है और इस बात पर ध्यान देते हुए कि अतिरिक्त कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है, अपराध का संज्ञान ले सकते है और समन (Process) जारी कर सकते है या (3) वह धारा

156(3) के तहत अतिरिक्त जाँच करने हेतु पुलिस को निर्देश दे सकते है | जहाँ, इन दोनों स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में, दंडाधिकारी अपराध का संज्ञान लेने और समन (Process) जारी करने हेतु निर्णय लेते है तो न तो सूचक और न ही घायल अथवा मृत्यु की दशा में, मृतक का कोई व्यथित रिश्तेदार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है या क्षतिग्रस्त होता है, क्योंकि अपराध का संज्ञान दंडाधिकारी द्वारा लिया गया है और यह दंडाधिकारी द्वारा निर्णित किया गया है कि मामला आगे चले | लेकिन यदि, दंडाधिकारी यह निर्णय लेते है कि आगे की कार्यवाही करने हेतु कोई पर्याप्त आधार नहीं है और इसलिए कार्यवाही समाप्त कर देते है या यह देखते हुए कि हाँलाकि FIR में बताये गए कुछ व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही, या कुछ व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं करने हेतु पर्याप्त आधार है, सूचक निश्चित रूप से प्रतिकूलत: प्रभावित होगा क्योंकि FIR जो उसके द्वारा करी गई थी, अपने उददेशय में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निष्फल हो जाएगी | इसके अलावा, जब सूचक के हित में उसके द्वारा दर्ज की गई FIR पर जो त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, वह धारा 154(2), धारा 157(2) और धारा 173(2)(ii) के तहत प्रावधानों से स्पष्ट रूप से है, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि सूचक को भी यह देखने में समान रूप से रुचि होगी कि दंडाधिकारी अपराध का संज्ञान लेते है और समन (Process) जारी करते है, क्योंकि यह उसके द्वारा दर्ज की गई FIR का परमोत्कर्ष होगा | इसलिए, कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब, धारा 173(2)(i) के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करके, दंडाधिकारी का झुकाव अपराध का संज्ञान लेने और समन (Process) जारी करने में नहीं है, सूचक को सुने जाने का अवसर मिलना ही चाहिए

ताकि वह दंडाधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने और समन (Process) जारी करने हेतु मनाने के लिए अपने कथन प्रस्तुत कर सके | इसलिए, हमारा यह विचार है कि एक मामले में जहाँ दंडाधिकारी के समक्ष धारा 173(2)(i) के तहत रिपोर्ट अग्रेषित हुई है और वह अपराध का संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को खत्म करने का निर्णय लेते है या यह निर्णय लेते है कि FIR में बताये गए कुछ व्यक्तियों के खिलाफ़ कार्यवाही हेतु कोई उचित आधार नहीं है, दंडाधिकारी को सूचक को रिपोर्ट पर टिपण्णी करते समय सुने जाने का अवसर प्रदान करने हेतु उसे नोटिस अवश्य रूप से देना चाहिए | हमारे समक्ष प्रत्यार्थियों की तरफ से जोर देकर कहा गया कि यदि ऐसे मामले में सूचक को नोटिस देना आवश्यक है तो यह सूचक को नोटिस तामील करने में आयी मुश्किल के कारण, अनावश्यक विलंब का आधार बन जायेंगे | लेकिन हमें नहीं लगता कि इसे हमारे विचार के विरद्ध एक वैध आपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले में FIR पर की गई पुलिस द्वारा कार्यवाही को सूचक को प्रेषित करना ही पड़ता है और धारा 173(2)(i) के तहत रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उसे देनी ही होती है और अगर यदि ऐसा है, तो, हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि सूचक को रिपोर्ट की टिपण्णी हेतु नोटिस तामील करने में कोई मुश्किल होगी | इसके अलावा, किसी भी स्थिति में, दंडाधिकारी द्वारा जब रिपोर्ट पर टिपण्णी की जा रही है उस वक्त सूचक को नोटिस की तामील में आयी मुश्किल के कारण सूचक को सुनने के अवसर से वंचित रखने में संभवतः कोई न्यायोचित आधार प्रदान नहीं कर सकते है |”

6.3 **Vinay Tyagi** (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला समेत, इस न्यायालय द्वारा **Bhagwant Singh** (उपर्युक्त) और **Reeta Nag**

(उपर्युक्त) के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विचारण के बाद, यह न्यायालय para 40 में अंततः निम्नलिखित निष्कर्ष निकालती है:

"**40.** सहिंता के प्रावधानों और उपरोक्त बताये गए विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करते हुए, हम, सहिंता की धारा 173(2) सहपठित धारा 173(8) और धारा 156(3) के तहत दंडाधिकारी की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते है:

40.1 पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू किये गए मामले में दंडाधिकारी को "पुनः जाँच" अथवा "नई जाँच" (शुरुआत से) के आदेश देने की शक्ति नहीं है |

40.2 सहिंता की धारा 173(6) के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर करने के बाद दंडाधिकारी के पास "अतिरिक्त जाँच" हेतु आदेश देने की शक्ति है |

40.3 उपरोक्त उप-पैरा 40.2 में व्यक्त किये गए विचार, Bhagwant Singh [Bhagwant Singh v/s Commissioner of Police, (1985) 2 SCC 537 : 1985 SCC (Cri) 267] के मामले में तीन न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा बताये गए विधि के सिद्धांत के अनुरूप है और इस प्रकार से यह पूर्व निर्णय के सिद्धांत के भी अनुरूप है |

40.4 न तो सहिंता की योजना और न ही किसी विशिष्ट प्रावधान के तहत दंडाधिकारी द्वारा ऐसी अधिकारिता बाधित है | धारा 173(2) की भाषा का, दंडाधिकारी को विशेषतः धारा 156(3) और धारा 173(8) के तहत ऐसी शक्तियों से वंचित करने हेतु, ऐसा प्रतिबंधात्मक आशय नहीं लगाया जा सकता है | वास्तव में, ऐसी शक्ति को धारा 173(8) की भाषा में पढ़ा जा सकता है |

40.5 संहिता एक प्रक्रियात्मक दस्तावेज है, इसलिए, इसे ऐसा निर्माण प्राप्त करना चाहिए जो न्याय और विधायी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सहायक बने | यह कोई कारण नहीं है कि पुलिस को रिपोर्ट दायर करने के बाद भी अतिरिक्त जाँच करने हेतु विधानसभा शक्ति प्रदान करती है, लेकिन न्यायालय की शक्ति को इस सीमा तक कम करने का इरादा रखती है कि जहाँ मामले के तथ्यों और न्याय के अभिप्राय की मांग है, वहां न्यायालय जाँच एजेंसी को अतिरिक्त जाँच हेतु जो वह अपने आप कर सकती है को करने का आदेश नहीं दे सकती है |

40.6 यह औचित्य की प्रक्रिया रही है कि पुलिस को "अतिरिक्त जाँच" जारी रखने और पूरक आरोप-पत्र दायर करने हेतु न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है | इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय के कई निर्णयों में भी अनुमोदित किया गया हैं | यह, इस तरह, इस विचार को समर्थन करेगा, जो हम प्रस्तुत मामले में ले रहे हैं|"

6.4 **Minu Kumari v/s State of Bihar (2000) 4 SCC 359,** के मामले में इस न्यायालय ने देखा कि, जब दंडाधिकारी के समक्ष पुलिस धारा 173(2)(i) के तहत रिपोर्ट पेश करती है तो कई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है | रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि जो अपराध हुआ है, उसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने किया है, और ऐसे मामले में, दंडाधिकारी या तो (1) रिपोर्ट को स्वीकार कर लेंगे और अपराध का संज्ञान ले सकते है और समन (process) जारी कर सकते है, या (2) रिपोर्ट से असहमत हो सकते है और कार्यवाहियों को ख़त्म कर सकते है, या (3) धारा 156(3) के

तहत अतिरिक्त जाँच हेतु और पुलिस को अतिरिक्त रिपोर्ट बनाने हेतु आदेश दे सकते है|

7. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनों का विचारण करते हुए और CrPC की धाराओं 167(2), 173, 227, और 228 में आवश्यक प्रावधानों पर भी विचार करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि जाँच खत्म होने के बाद और CrPC की धारा 173(2)(i) के तहत पुलिस द्वारा दंडाधिकारी को रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद, विद्वान दंडाधिकारी या तो (1) रिपोर्ट को स्वीकार कर सकते है और अपराध का संज्ञान लेते हुए समन (process) जारी कर सकते है, या (2) रिपोर्ट से असहमत हो सकते है और कार्यवाहियों को ख़त्म कर सकते है, या (3) धारा 156(3) के तहत अतिरिक्त जाँच हेतु और पुलिस को अतिरिक्त रिपोर्ट बनाने हेतु आदेश दे सकते है| यदि दंडाधिकारी रिपोर्ट से असहमत है और कार्यवाहियों को खत्म करते है, तो सूचक को आपत्ति आवेदन देने हेतु एक अवसर दिया जाना चाहिए और इसके बाद, सूचक को अवसर देने के बाद, दंडाधिकारी आगे निर्णय ले सकते है कि, अभियुक्त के खिलाफ़ कार्यवाहियों को खत्म करना है अथवा नहीं| यदि दंडाधिकारी आपत्तियों को स्वीकार करते है, उस स्थिति में, वह समन जारी कर सकते है और/अथवा अभियुक्त के खिलाफ़ आरोप भी तय कर सकते है | जैसा की उपरोक्त विश्लेषण किया गया है, CrPC की धारा 173(2)(i) के तहत पुलिस द्वारा अग्रेषित रिपोर्ट पर विचारण के बाद जाँच से संतुष्ट न होते हुए, दंडाधिकारी चाहे तो किसी भी स्तर पर अतिरिक्त जाँच और पुलिस को अतिरिक्त रिपोर्ट बनाने हेतु निर्देश दे सकते है | हाँलाकि, यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त सभी कार्यो को पूर्व-संज्ञान स्तर पर ही किया जाना चाहिए | एक बार जब दंडाधिकारी संज्ञान ले लेते है और,

CrPC की धारा 173(2)(i) के तहत पुलिस द्वारा अग्रेषित रिपोर्ट के साथ दायर रिकॉर्ड सामग्री पर विचार करते हुए, दंडाधिकारी CrPC की धारा 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को उम्मोचित कर देते है तो इसके बाद, यह दंडाधिकारी के लिए अनुज्ञेय नहीं है कि वह अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश और जाँच अधिकारी को रिपोर्ट दायर करने हेतु निर्देश, स्वप्रेरणा से दे | अभियुक्त के उम्मोचन के बाद दिया गया ऐसा आदेश, उत्तर-संज्ञान स्तर पर ही माना जायेगा | पूर्व-संज्ञान स्तर और उत्तर-संज्ञान स्तर एवं दंडाधिकारी द्वारा पूर्व-संज्ञान स्तर और उत्तर-संज्ञान स्तर पर अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश देने में शक्तियों के प्रयोग के बीच में विभेद और/अथवा अंतर है | पूर्व-संज्ञान स्तर पर दंडाधिकारी को उपलब्ध अतिरिक्त जाँच हेतु आदेश की शक्ति, उत्तर-संज्ञान स्तर पर दंडाधिकारी को नहीं मिल सकती, विशेषतः जब उसके द्वारा अभियुक्त को उम्मोचित किया गया है | जैसा की उपरोक्त विश्लेषण किया गया है कि, यदि दंडाधिकारी जाँच अधिकारी द्वारा की गई जाँच और CrPC की धारा 173(2)(i) के तहत दायर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, जैसा की इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में देखा गया और जैसा की उपरोक्त विचारण किया गया है, यह दंडाधिकारी के लिए हमेशा अनुज्ञेय है कि वह अतिरिक्त जाँच हेतु जाँच एजेंसी को निर्देश दे सकते है और आरोप तय करने और/अथवा उस स्तर पर रिपोर्ट पर कोई भी अंतिम निर्णय सुनाने को भी स्थगित कर सकते है | हाँलाकि, दंडाधिकारी जब एक बार, रिपोर्ट और रिपोर्ट के साथ दायर सामग्री के आधार पर, अभियुक्त को उम्मोचित करते है, हमें भय है कि, इसके बाद दंडाधिकारी स्वप्रेरणा से जाँच एजेंसी को अतिरिक्त जाँच के लिए आदेश कर सकते है | उम्मोचन का आदेश जब एक बार पारित हो जाता है, इसके बाद दंडाधिकारी की

कोई अधिकारिता नहीं रहती कि वह स्वप्रेरणा से अतिरिक्त जाँच और रिपोर्ट को दायर करने हेतु जाँच अधिकारी को निर्देश दे | ऐसी परिस्थिति में, केवल दो उपचार उपलब्ध हैं: (i) उम्मोचन के विरुद्ध एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जा सकता है अथवा (ii) न्यायालय CrPC की धारा 319 के स्तर आने तक प्रतीक्षा करे | हाँलाकि, इसी समय, CrPC की धारा 173(8) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह जाँच एजेंसी के लिए अनुज्ञेय है कि वह अतिरिक्त जाँच हेतु आवेदन पत्र दायर करे और इसके बाद नई रिपोर्ट दायर करे और न्यायालय, जाँच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन पत्र पर अतिरिक्त जाँच की अनुमति दे सकता है और जाँच अधिकारी को नई रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दे सकता है और इसी को दंडाधिकारी द्वारा विधि के अनुसार विचारण किया जा सकता है| दंडाधिकारी CrPC की धारा 173(8) के तहत अतिरिक्त जाँच अथवा मामले के उत्तर-संज्ञान स्तर पर पुनः जाँच हेतु स्वप्रेरणा से निर्देश नहीं दे सकते है, विशेषत: तब, जब दंडाधिकारी ने CrPC की धारा 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को उम्मोचित कर दिया है | हाँलाकि, CrPC की धारा 173(8) के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अतिरिक्त जाँच और साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेज, को CrPC की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद, दायर करने हेतु शक्ति प्रदान करती है | इसलिए, यह जाँच अचिकारी को अनुज्ञेय है कि वह CrPC की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद भी और अभियुक्त के उम्मोचन के बाद भी, अतिरिक्त जाँच हेतु आवेदन कर सके | हाँलाकि, उपरोक्त, जाँच अधिकारी/प्रभारी पुलिस अधिकारी के कहने पर ही होगा और दंडाधिकारी की कोई अधिकारिता नहीं होगी कि जब जाँच हेतु आदेश पारित कर सके|

7.1 प्रस्तुत मामले में, जाँच प्राधिकारी ने अतिरिक्त जाँच हेतु आवेदन नहीं किया और दंडाधिकारी ने अतिरिक्त जाँच हेतु स्वप्रेरणा से आदेश पारित किया और अतिरिक्त जाँच करने के लिए जाँच अधिकारी को और रिपोर्ट को दायर करने हेतु स्वप्रेरणा से निर्देश दिया, जो विधि के अनुसार अनुचित है| यह कार्य दंडाधिकारी की अधिकारिता से परे है| इसलिए, दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश का वह भाग जिसमे उन्होंने अभियुक्त के उम्मोचन के बाद अतिरिक्त जाँच का आदेश पारित किया था, संधारण नहीं किया जा सकता है और इसे ख़ारिज एवं आपस्त किया जाने योग्य है | परिणामस्वरुप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश जो दंडाधिकारी के आदेश की पुष्टि करता है, को भी ख़ारिज एवं आपस्त किया जाता है | इसी समय, यह जाँच अधिकारी के लिए अनुज्ञेय है कि वह धारा 173(8) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जाँच हेतु एक उचित आवेदन दायर करे और फिर अतिरिक्त जाँच करते हुए एक अतिरिक्त रिपोर्ट दायर करे |

8. उपरोक्तानुसार और उपरोक्त में विदित कारणों के मद्देनजर, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है| दिनाकं 20.08.2014 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के साथ-साथ दिनाकं 05.02.2013 को दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश के उस भाग जिसमे उन्होंने जाँच अधिकारी को अतिरिक्त जाँच और रिपोर्ट दायर करने हेतु निर्देश दिया है, को एतद्द्वारा ख़ारिज एवं आपस्त किया जाता है|

8.1 हाँलाकि, दंडाधिकारी द्वारा किये गए विश्लेषण और दंडाधिकारी द्वारा जाँच में कमी की तरफ इशारे पर विचारण करते हुए और असली दोषी पर आरोप तय करना

और/अथवा सजा देने के अंतिम लक्ष्य के विचारण हेतु, यह जाँच अधिकारी के लिए अनुज्ञेय होगा कि वह दंडाधिकारी के समक्ष अतिरिक्त जाँच और नई जाँच करने हेतु एक उचित आवेदन दे और CrPC की धारा 173(8) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त रिपोर्ट दायर करे और इसके बाद दंडाधिकारी इस पर कानून के अनुसार और इसके अपने गुणागुण के आधार पर विश्लेषण करें |

9. वर्तमान अपील उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्वीकृत की जाती है और उपरोक्त अनुसार, जाँच अधिकारी के पक्ष में अधिकार स्वातंत्रय है |

एल. नागेश्वर राव, न्यायाधीश

एम. आर. शाह, न्यायाधीश

नई दिल्ली: 16 अप्रैल, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सिमित प्रयोग हेतु किया गया हैं ताकि, वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायगा | समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी |